

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-1/2018 / 1401

दिनांक 14.3.18

आदेश

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग राजस्थान, जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प. 10(24)वित्त/राजस्व/2015 दिनांक 17.01.2018 के अनुसार सातवें वेतन आयोग के आधार पर 01.01.2016 के पश्चात् सेवानिवृत्त/ सेवा में रहते हुये मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों के पेंशन संशोधन का कार्य करने हेतु प्राप्त छः माह की स्वीकृति के क्रम में निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(37)निपेवि / स्था./09/10512आर दिनांक 26.02.2018 के चाहे अनुसार निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को सेकिण्डमेन्ट के आधार पर सम्बन्धित पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में स्वीकृत अवधि 6 माह के लिये लगाया जाता है :-

क्रमांक	नाम सलेअ-1	पदस्थापित कार्यालय	पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग का मुख्यालय
1	सुरेन्द्र सिंह चौहान (लिंक नं. 5170)	आयुक्त परिवहन विभाग जयपुर	जयपुर
2	गोविन्द प्रसाद गोयल (लिंक नं.8571)	निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग जयपुर	जयपुर
3	राजेन्द्र प्रसाद चितारा (लिंक नं. 1879)	सम्भागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जोधपुर	जोधपुर
4	ओमप्रकाश सेठी (लिंक नं. 4646)	राजकीय यू.जी. महाविद्यालय (छात्रा) अजमेर	अजमेर
5	सुगना राम (लिंक नं. 5169)	संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, उदयपुर	उदयपुर
6	हरिकिशन भद्रवाल (लिंक नं. 2169)	राजकीय पी.जी.डूंगर महाविद्यालय (छात्र) बीकानेर	बीकानेर
7	दयाकृष्ण गुप्ता (लिंक नं. 744)	संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग, कोटा	कोटा
8	नीरज शर्मा (लिंक नम्बर 5620)	अतिरिक्त आयुक्त, आबकारी विभाग, भरतपुर	भरतपुर

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक 14.3.18

क्रमांक: एफ.2(ग)()जयपुर/अलेस-1/2018 / 1401

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनकी स्वीकृति क्रमांक प.10(24)वित्त/राजस्व/2015 दिनांक 17.01.2018 के सन्दर्भ में ।
3. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान जयपुर
4. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
5. सम्बन्धित विभाग/ कार्यालयाध्यक्ष
6. सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को पालनार्थ
7. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली

(अरविन्द दीवान)

अति. निदेशक (कार्मिक-1)